

57



माननीय न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्र.

15 निगरानी

निगरानी 1290-II-15

आपुद्धा अर्थात् से अज
दिनांक 27-5-15 से अज
पर उच्चत

प्रार्थी अभिभाषक श्री विद्यास डाया
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 25-5-15
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

- 1 जगदीश पिता मांगीलालजी आयु 35 वर्ष,
धंधा-खेती,
- 2 सत्यनारायण पिता मांगीलालजी आयु 33 वर्ष,
धंधा-खेती,
- 3 प्रेमबाई विधवा मांगीलालजी आयु 50 वर्ष,
धंधा-खेती,
निवासीगण-ग्राम मोरुखेडी, तहसील व जिला
उज्जैनप्रार्थीगण
विरुद्ध
मगनीराम पिता रूपाजी, आयु 60 वर्ष,
निवासी-ग्राम मोरुखेडी, तहसील व जिला
उज्जैनप्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय, (शेखर चौधरी) उज्जैन
द्वारा प्रकरण क्र. 21/अ-6-अ/2013-14 में पारित आदेश दिनांक
08.05.2015 से असंतुष्ट एवं दुःखी होकर।

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण की और से निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत है :-

01. यह कि, अनावेदक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सर्वे नंबर 14 रनकबा 0.10 हे. तथा सर्वे नंबर 159 रकबा 1.45 हे. भूमि तथा सर्वे नंबर 161 रकबा 0.02 हे., सर्वे नंबर 175 रकबा 0.14 हे., कुल कीता 4, कुल रकबा 1.71 हेक्टर भूमि के संबंध में स्वयं का नाम इंद्राज किये जाने हेतु एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 115, 116 म.प्र.भू.रा.संहिता के तहत प्रस्तुत किया तथा आवेदकगण के नाम के साथ स्वयं के नाम का इंद्राज किये जाने की प्रार्थना चाही है।

.....2

MV

R 1290-115

23-7-15

आवेदक का.सि. श्री रमिठ
पत्नी सुपना उपरान्त कुमुदामि
समय-समय पर तीन बार पुका
आवाज देती है। कौड़ी उपाधि
करी। आवेदक की कुमुदामि
के कारण प्रकाश उदम पर
में शक्ति किम लला

23/7/15